राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
National Institute of Open Schooling (NIOS)

मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम
OPEN BASIC EDUCATION (OBE) PROGRAMME

समझौता ज्ञापन (एमओयू)/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

प्रथम पार्टी
First Party
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
ए-24-25, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201309

National Institute of Open Schooling (NIOS)
A-24-25, Sector – 62, Institutional Area,
Distt. Gautam Budh Nagar, NOIDA
Uttar Pradesh– 201309

द्वितीय पार्टी (एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित एजेंसी)
Second Party (Accredited Agency by NIOS)

प्रत्यायित एजेंसी का नाम:_____________________
Name of AA:_____________________
समन्वयक का नाम : _____________________
Name of Coordinator: _____________________
पता:- _____________________
____
____
Address: _____________________
____
____
(**Pin**): _____________________
फोन नं. एसटीडी कोड सहित (Phone With STD Cod
मोबाइल नं._____________________
Mobile No._____________________
फैक्स (Fax): _____________________
ई-मेल(E-mail):_____________________

मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित एजेंसी
ACCREDITED AGENCY BY NIOS FOR OPERATIONALISATION OF THE OBE PROGRAMME

आयु वर्ग के लिए (For the age group)

6-14 वर्ष (6 to 14 years)

अथवा (Or)

15 वर्ष एवं अधिक (15years & above)

अथवा (Or)

दोनों आयु वर्ग के लिए (Both Age Groups)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायित एजेंसी (एए) के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तें होंगी:-
Terms and conditions for working as an Accredited Agency (AA) under the Open Basic Education (OBE) programme of the National Institute of Open Schooling (NIOS):-

1. प्रत्यायित एजेंसी में कार्यक्रम का समन्वयक
Co-ordinator of the Programme in the Accredited Agency

1.1 गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के मामले में संस्था/एजेंसी के प्राचार्य/प्रमुख ओबीई कार्यक्रम के समन्वयक होंगे।
In case of Non-Governmental Organization (NGO), the Head of the Institution/Agency shall be the Co-ordinator of the OBE Programme.

1.2 सरकारी एजेंसी के मामले में राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति ओबीई कार्यक्रम का समन्वयक होगा।
In case of Governmental Agency, the person designated by the State Government shall be the Co-ordinator of the OBE programme.

1.3 समन्वयक बदलने के मामले में प्रत्यायित एजेंसी के लिए एनआईओएस का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
In case of change of the Co-ordinator, the approval of NIOS is mandatory for the Accredited Agency.

2. एनआईओएस राज्य स्तर की एजेंसी का निर्धारण करेगा जिसके द्वारा किसी राज्य विशेष में ओबीई कार्यक्रम चलाया जाएगा एवं मॉनीटर किया जाएगा। प्रत्यायित एजेंसी को राज्य स्तर की एजेंसी के साथ कार्य करना होगा और पूरे राज्य के लिए निर्दिष्ट ओबीई संबंधी नीतिगत निर्णयों का पालन करना होगा।
NIOS will identify the State level agency through which the OBE programme will be conducted and monitored. The Accredited Agency will work with the State level agency and abide by policy decisions for OBE programme meant for the entire State.

3. एनआईओएस अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से प्रत्यायित एजेंसी के साथ सीधे कार्य करेगा।

NIOS through its concerned Regional Centre will deal with Accredited Agency directly.

4. एनआईओएस मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक सामान्य शैक्षिक एवं प्रशासनिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। प्रत्यायित एजेंसी एनआईओएस द्वारा बनाए गए ओबीई कार्यक्रम के कैलेंडर का पालन करेगी। प्रत्यायित एजेंसी को सत्र के आरंभ में सत्र के दौरान पालन किए जाने वाली शैक्षिक वर्ष की कार्यक्रम प्रणाली एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र को भेजनी होगी ।

NIOS will develop the guidelines for a common academic and administrative calendar for implementation of the OBE programme. The Accredited Agency shall abide by the calendar of OBE Programme formulated by NIOS. The Accredited Agency will have to send the schedule of the academic year to be followed during the session to the NIOS Regional Centre in the beginning of the session.

5. एनआईओएस प्रत्यायित एजेंसी को नमूना पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान कर सकता है।

NIOS may provide exemplar curriculum and teaching-learning materials to the Accredited Agency.

6. प्रत्यायित एजेंसी चाहे तो एनआईओएस पाठ्यचर्या को आधार बनाकर स्थानीय भाषा में अपनी स्थानीय विशिष्ट सामग्री तैयार कर सकती है।

The Accredited Agency may develop its own local specific teaching – learning materials based on NIOS curriculum in local language.

7. प्रत्यायित एजेंसी एनआईओएस द्वारा दी गई ओबीई सामग्री को एनआईओएस के परामर्श से अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वीकार/परिवर्तन/अनुवाद कर सकती है। एनआईओएस अपने नियमानुसार इस प्रकार के प्रयास में आंशिक रूप से अथवा पूर्ण सहयोग दे सकता है।

The Accredited Agency may adopt/adapt/translate the exemplar OBE material provided by the NIOS to suit the local requirements. The NIOS may fully or partially support such effort at its discretion.

8. ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईओएस द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई सामग्री का कॉपीराइट एनआईओएस के पास होगा। एजेंसी को एनआईओएस से सामग्री के प्रयोग/परिवर्तन/अनुवाद के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। एजेंसी द्वारा सामग्री के प्रयोग/परिवर्तन/अनुवाद से उसे एनआईओएस अथवा उसकी एजेंसियों द्वारा तैयार सामग्री का कॉपीराइट रखने का अधिकार नहीं मिलेगा।

The copyright of the material developed by it directly or through any other agencies at all levels under OBE Programme shall vest with the NIOS. The agency will have to take prior written permission from NIOS for using materials for adoption/adaptation /translation. The adoption/adaptation/ translation by the Accredited Agency will not empower it to have copyright on the materials developed by NIOS or by its agencies.

9. प्रत्यायित एजेंसी को एनआईओएस द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई पाठ्यचर्या को अपनाना होगा। यदि किसी स्थिति में, प्रत्यायित एजेंसी ने एनआईओएस पाठ्यचर्या के आधार पर कोई सामग्री तैयार की है तो प्रत्यायित एजेंसी को नया शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले एनआईओएस से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
The Accredited Agency is required to adopt the subjective curriculum developed by NIOS. In case any material is developed by the Accredited Agency based on the NIOS curriculum, the same shall be required to be approved from NIOS by Accredited Agency before the start of the Academic session.

10 प्रत्यायित एजेंसी एक विशेष ओबीई स्तर के लिए अध्ययन योजना में निश्चित किए गए अध्ययन के घंटों के अनुसार प्रत्यक्ष शिक्षण की व्यवस्था करेगी। प्रत्यायित एजेंसी दिशानिर्देशों में निर्धारित अध्ययन के घंटों का सख्ती से पालन करे और ऐसे शिक्षार्थियों को कोई प्रमाणपत्र न दिया जाए जो मानदण्ड को पूरा नहीं करते।
The Accredited Agency will provide face to face teaching as per the scheme of studies for a particular OBE level. The study hours prescribed in the guidelines will have to be strictly adhered to by the Accredited Agency and no certificates will be issued to the learners who do not fall within the criteria.

11. प्रत्यायित एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि उसके पास ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम आयोजित कराने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं तथा शिक्षार्थियों को प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।
The Accredited Agency has to ensure that it has necessary infrastructure including tools and equipments to conduct the Vocational Education Courses under OBE programme and learners are provided adequate practical facilities.

12. प्रत्यायित एजेंसी 'क', 'ख' और 'ग' स्तर के ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों और एसओपी में उल्लिखित किए अनुसार प्रवेश के लिए नियमों का सख्ती से पालन करेगी और सत्र के आरंभ होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर एनआईओएस द्वारा दिए गए प्रारूप में एक कंप्यूटरीकृत डाटाबेस एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के सभी शिक्षार्थियों का प्रवेश रिकॉर्ड प्रदान करेगी। दिशानिर्देश और एसओपी अधिसूचना सं. 228/2015 दिनांक 01.10.2015 एनआईओएस वेबसाइट (www.nios.ac.in) पर भी उपलब्ध हैं।
The Accredited Agency will strictly follow the norms for admission as mentioned in the guidelines and SOP for admission under OBE Programme of level A, B & C and shall provide complete learners admission record to concerned Regional Centres of NIOS in a computerized database as per format provided by NIOS

within a period of two months from the date of commencement of the session. The guidelines and SOP along with Notification No. 228/2015 dated 1.10.2015 are also available on NIOS website (www.nios.ac.in) .

13. शिक्षार्थियों के प्रवेश के साथ-साथ पहचान पत्रों (आईडी) के जारी करने, अध्ययन सामग्री के मुद्रण और आपूर्ति, परामर्श, परीक्षा के आयोजन, मूल्यांकन और कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड तैयार करने से संबंधित सभी कार्य प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा अपने खर्च पर कराए जायेंगे। उपर्युक्त कार्यों के लिए एनआईओएस प्रत्यायित एजेंसी को कोई भुगतान नहीं करेगा।
All matters relating to admission of learners, including issue of Identity Cards (IDs), printing and supply of study materials, counseling, conduct of examination, evaluation and computerized record maintenance shall be done by the Accredited Agency at its own cost. NIOS will not bear any financial liability to the Accredited Agency for the above activities.

14. प्रत्यायित एजेंसी विभिन्न ओबीई स्तरों के लिए एनआईओएस द्वारा प्रदान किए गए सक्षमता आधारित ब्लू प्रिंट के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करेगी। एनआईओएस को किसी भी समय मूल्यांकन योजना में परिवर्तन करने का अधिकार है।
The Accredited Agency shall conduct examinations as per competency based blueprint provided by NIOS for different OBE levels. NIOS will have the right to change the evaluation scheme at any time.

15. प्रत्यायित एजेंसी एनआईओएस द्वारा तैयार पद्धति और कार्यक्रम योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित कराएगी।
The Accredited Agency shall conduct the examinations in a pattern and schedule formulated by NIOS.

16. एनआईओएस को यह अधिकार है कि वह प्रत्यायित एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करे और प्रत्यायित एजेंसी के विरुद्ध किसी भी शिकायत के मामले में उचित कार्रवाई करे।
NIOS has the right to appoint observers for the examinations conducted by Accredited Agency and take appropriate action in case of complaint against the Accredited Agency.

17. प्रत्यायित एजेंसी सुचारू ढंग से परीक्षा आयोजित कराएगी। यदि एनआईओएस ने संज्ञान लिया कि परीक्षा के आयोजन में कोई कमी है अथवा कोई ऐसा प्रमाण मिला जिससे प्रत्यायित एजेंसी को अनुचित साधनों को प्रयोग करते हुए पाया गया तो प्रत्यायित एजेंसी के विरूद्ध अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रत्यायन का निरस्तीकरण भी हो सकता है। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन एनआईओएस द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
The Accredited Agency shall conduct the examination in a fair manner. Any deficiency in the conduct of examination noted by NIOS or any evidence of involvement of the Accredited Agency in abetting unfair means would render the Agency liable for disciplinary, legal action including termination of the

accreditation. The evaluation of learners will be done as per guidelines provided by NIOS.

18. प्रत्यायित एजेंसी (एए) द्वारा चलाये जा रहे व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम को एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र/शैक्षिक विभाग द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। फीडबैक विश्लेषण, निष्पत्ति विश्लेषण की मानीटरिंग संबंधित क्षेत्रीय केंद्र/शैक्षिक विभाग द्वारा की जाएगी।
Personal Contact Programme run by the Accredited Agency (AA) will be monitored by the Concerned Regional Center /Academic Department of NIOS. The feedback analysis, Performance analysis will be monitored by the Concerned Regional Centers / Academic Department of NIOS.

19. प्रत्यायित एजेंसी द्वारा परीक्षाओं का परिणाम एनआईओएस द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार सीडी में एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों को दिया जाए और साथ में परीक्षा परिणाम का कंप्यूटर प्रिंटआउट भी दिया जाए जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्यायित एजेंसी के समन्वयक के हस्ताक्षर हों।
The result of examination will be supplied by the Accredited Agency to the concerned Regional Centres of NIOS in CD in the format provided by NIOS along with the computer printout of the result duly signed by the Co-ordinator of Accredited Agency on each page.

20. चूंकि ओबीई प्रमाणपत्र एक 'संयुक्त प्रमाणपत्र' है इसलिए प्रत्यायित एजेंसी प्रमाणपत्र पर संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता होगी और उसे एनआईओएस को दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर अवश्य प्रदान करेगी
Since the OBE Certificate is a 'Joint Certificate', the Accredited Agency will be a joint signatory on the certificate and must provide to NIOS specimen signatures of two authorized signatories.

21. प्रत्यायित एजेंसी शिक्षार्थियों को ओबीई प्रमाणपत्र नि:शुल्क वितरित करेगी और यदि इस संबंध में यदि एनआईओएस ने पाया कि इसके लिए कोई धन राशि ली गई है तो एनआईओएस के निर्णयानुसार प्रत्यायित एजेंसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी
The Accredited Agency shall distribute the OBE Certificates without any charge to the learners. In case, it is found that any amount has been charged in this regard, it would render the Accredited Agency liable for disciplinary/penal action as may be decided by NIOS.

22. एनआईओएस प्रत्यायित एजेंसी को ओबीई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भौतिक साधनों अथवा मानव संसाधन के लिए कोई वित्तीय अनुदान नहीं देगा।
NIOS will not provide any financial grant to the Accredited Agency for any physical or human resources for conducting the OBE programme.

23. प्रत्यायित एजेंसी समय-समय पर एनआईओएस के निर्देशानुसार शिक्षार्थियों से संबंधित लिखित कार्य, परियोजनाएं और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां आयोजित कराएगी।

The Accredited Agency shall carry out assignments, projects and other academic activities related to learners as directed by NIOS from time to time.

24. एक स्वास्थ्यप्रद, शैक्षिक दृष्टि से बेहतर एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए प्रत्यायित एजेंसी को अपने मुक्त बेसिक शिक्षा अध्ययन केंद्र में स्वच्छता और सफाई की सभी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी।
The Accredited Agency shall fulfill all requirements regarding sanitation and cleanliness in order to maintain healthy and educationally conducive environment in its OBE Study Centre.

25. प्रत्यायित एजेंसी मुक्त बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन की जांच के उद्देश्य से अध्ययन केंद्रों के भवन और चल रहे कार्य के निरीक्षण के लिए एनआईओएस दलों को अनुमति देगी।
The Accredited Agency shall allow inspection of the premises of its Study Centre for monitoring of the OBE Programme and the work being done.

26. एजेंसी सही और उचित तरीके से अपना पूरा विवरण देगी। किसी प्रकार की गलत जानकारी देने पर एजेंसी का प्रत्यायन रद्द किया जा सकता है।
The Agency shall give full details in a correct and truthful manner. Any false information inputs would render the agency liable to disaccreditation.

27. इसके अतिरिक्त, यदि प्रत्यायित एजेंसी को निम्नलिखित अनुपयुक्ताओं/अनियमितताओं में संलग्न पाया गया तो एनआईओएस को एजेंसी का प्रत्यायन वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है ।
Among other things, the NIOS reserves the right to withdraw accreditation in case the Accredited Agency is found indulging in any of the following improprieties/irregularities.

28. एनआईओएस द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षार्थियों को आवश्यक शैक्षिक और प्रशासनिक सहायता न देना।
Failure to provide necessary academic and administrative support to the learners as per schedule/norms fixed by NIOS.

28.1 नामांकन और प्रमाणपत्र प्रदान करने का सही रिकॉर्ड बनाकर न रखना
Non-maintenance of proper records pertaining to enrolment and certification.

28.2 परीक्षा केंद्र का अपर्याप्त अवलोकन जिससे केंद्र में परीक्षा के दौरान शिक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग/सामूहिक नकल करते हैं।
Inadequate supervision of the Examination Centres enabling learners to use unfair means/copying during the examinations at the centres.

28.3 लगातार दो वर्षों तक अध्ययन केंद्र के रूप में प्रत्यायित एजेंसी का असंतोषजनक शैक्षिक परिणाम और उसे सुधार करने में असमर्थ होना।
Poor academic performance of the Accredited Agency for two consecutive years and not being able to keep the performance at satisfactory level.

28.4 प्रत्यायित एजेंसी (एए) अपने सारे विवरण सही और वास्तविक रूप में देगी। किसी प्रकार की गलत जानकारी से एजेंसी का प्रत्यायन रद्द कर दिया जाएगा।
The AA shall give full details in a correct and truthful manner. Any false informational inputs would render the agency liable to dis-accreditation,

28.5 प्रवेश, परीक्षा और अन्य दिए गए कार्यों से संबंधित कोई अन्य अनुचित व्यवहार जिसके कारण एनआईओएस की दृष्टि में एजेंसी का प्रत्यायन तुरंत रद्द कर देना चाहिए।
Any other misconduct in connection with the admission, examinations and other assigned tasks which in the opinion of NIOS warrants immediate withdrawal of accreditation of Accredited Agency.

29. *यदि एमओयू से उत्पन्न अथवा उसके संबंध में द्वितीय पार्टी और प्रथम पार्टी के बीच कोई विवाद होता है तो वह विवाद प्रथम पार्टी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को दिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और द्वितीय पार्टी के लिए अंतिम एवं बाध्य होगा ।*
In case of dispute arising between the party of the second part and party of the first part arising out of or in relation of the MOU, the dispute shall be referred to the sole arbitrator appointed by the party of the first part whose decision shall be final and binding on the party of the second part.

30. यदि एमओयू की दोनों पार्टियों के बीच में कोई विवाद होता है तो सभी मामले नोएडा (उ.प्र.) के क्षेत्राधिकार में आने वाले न्यायालयों और ट्राइब्यूनलों में निपटाए जाएंगे।
In case of any dispute arising out of the relation between the parties of the MOU, the jurisdiction of the Courts and Tribunals will be at the Court of Law, NOIDA (UP).

31. एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित सभी संस्थाओं/संगठनों के लिए एनआईओएस की प्रत्यायित एजेंसी के लिए मान्य होगी। एसओपी इस समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न अंग है।
The Standard Operating Procedure (SOP) for the Accredited Agency would be binding on all institutions/organizations accredited by NIOS. The SOP is an integral part of this MOU.

32. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार प्रत्यायित एजेंसी को अपने टेलीफोन नंबर एवं ई-मेल आईडी संस्था/प्रत्यायित एजेंसी के एक महत्वपूर्ण स्थान पर एक अलग बोर्ड पर प्रदर्शित करने होंगे ।
As per the directions of the Central Vigilance Commission (CVC), the Accredited Agency is required to display □□□ telephone numbers and E-mail IDs on a separate board at a prominent place of the Institution /Accredited Agency.

33. एजेंसी को ओबीई ओबीई कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देशों मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) 01 अक्तूबर, 2015 में दी गई राशि के अनुसार पंजीकरण, प्रमाणपत्र के सत्यापन आदि के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

अधिसूचना सं. 235/दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रत्यायन शुल्क और आरक्षिका निधि एनआईओएस की वेबसाइट के साथ साथ ओबीई कार्यक्रम के दिशानिर्देशों और एसओपीमें भी उपलब्ध है। यदि किसी प्रकार के शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो उसे एनआईओएस की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

The Agency is required to pay the fee for registration, verification of certificate etc. as per the charges given in the guidelines and Standard Operating Procedure (SOP) for implementation of OBE Programme 1st October, 2015.

The accreditation fee and reserved fund for various categories as mentioned in notification No. 235/ dated 1st October, 2015 is available on website of NIOS and also in the guidelines and SOP for OBE Programme. In case there is change in any kind of fees, the same will be notified on the website of NIOS.

34. प्रत्यायित एजेंसी को एनआईओएस से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई 2005) की मांग के तहत अल्पकालीन नोटिस पर उपलब्ध कराने होंगे।

The Accredited Agency shall maintain all records pertaining to NIOS activities and ensure availability at short notice and ability to respond under Right to Information Act (RTI, 2005).

35. एनआईओएस के विरुद्ध प्रत्यायित एजेंसी किसी प्रकार की संस्था/संगठन नहीं बना सकती

The Accredited Agency shall not form any kind of Association/Forum against NIOS.

उपर्युक्त समझौता ज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों पर हमारी स्वीकृति के रूप में, हम............. दिन.................................... माह सन दो हजार .... को हस्ताक्षर करते हैं।

We put our hands on this ___________________________ day of _____________ month Two Thousand ______________ as a token of our accepting the terms and conditions as set forth in the above Memorandum of Understanding.

एनआईओएस के लिए और उसकी ओर से

For and on behalf of NIOS

हस्ताक्षर/Signature

नाम/Name

सचिव (एनआईओएस)

Secretary (NIOS)

कार्यालयी मुहर

Official Stamp

स्थान/Place

तिथि/Date

गवाह/Witness

1. ____________________

हस्ताक्षर (Signature)

नाम और पता/Name & Address

____

____

____

पिन कोड/Pin Code:

गवाह/Witness

2. ____________________

हस्ताक्षर (Signature)

नाम और पता/Name &Address

____

____

____

पिन कोड/Pin Code:

एजेंसी के लिए और उसकी ओर से

For and on behalf of the Agency

हस्ताक्षर/Signature

नाम/Name

पदनाम (प्राचार्य/प्रमुख)

Designation/Principal/Head)

कार्यालयी मुहर

Official Stamp

स्थान/Place

तिथि/Date

गवाह/Witness

1. ____________________

हस्ताक्षर (Signature)

नाम और पता/Name & Address

____

____

____

पिन कोड/Pin Code:

गवाह/Witness

2. ____________________

हस्ताक्षर (Signature)

नाम और पता/Name &Address

____

____

____

पिन कोड/Pin Code: